राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर (दूरभाष–0141–2705638)

क्रमांकः F.(30)/ICDS/ NNM/GM/ 2018/ 59673-696 जयपुर, दिनांक 16.4.2018

समस्त उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,

विषयः– माह के प्रथम गुरूवार को समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर ''वजन दिवस'' आयोजित किये जाने बाबत।

भारत सरकार द्वारा बौनापन/नाटापन (Stunting), दुबलापन (Wasting) एवं अति कुपोषण (Under Nutrition) की दर में कमी लाने एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाऐं तथा 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में राज्य के 24 जिलों में राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission) शुरू किया गया है तथा आगामी वित्तीय वर्षों में शेष रहे जिलों को भी राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

आंगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले लाभार्थियों विशेषकर 0–5 वर्ष के बच्चों की वृद्धि निगरानी सम्बन्धी सूचकांकों जैसे– बौनापन/नाटापन, दुबलापन, कुपोषण आदि की स्थिति की गहन मॉनिटरिंग (Robust Monitoring) हेतु विभाग द्वारा वजन एवं ऊँचाई/लम्बाई मापने के लिए वृद्धि निगरानी उपकरण यथा वजन मापने की मशीन (Weighing Scale), लम्बाई मापने हेतु उपकरण (Infantometer) एवं ऊँचाई मापने हेतु (Stadiometer) प्रदान किये जा रहे है।

अतः सभी सम्बन्धित उप निदेशकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर **प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार** को **''वजन दिवस''** आयोजित किया जाना सुनिश्चित करावें। **''वजन दिवस''** के दिन समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर सभी लाभार्थियों विशेषकर 0–5 आयु वर्ग के बच्चों का वजन/ऊँचाई/लम्बाई मापी जायेगी।

विभाग द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक 36832–72 दिनांक 04.03.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा वृद्धि निगरानी उपकरणों को उपयोग में लिये जाने हेतु **''आदर्श परिचालन प्रक्रिया (Standered Operating Procedures)''** अनुसार ही लाभार्थियों का वजन मापा जाना सुनिश्चित करें।

वजन दिवस से सम्बन्धित आवश्यक फोटोग्राफ्स भी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर

क्रमांकः F.(30)/ICDS/ NNM/GM/ 2018/ 59697-928 जयपुर, दिनांक 16.4.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएँ राजस्थान।
3. समस्त सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने परियोजना क्षेत्र के सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार को वजन दिवस आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परियोजना समन्वयक
NNM